कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/उ.मै./आवंटन–व्यय/2016–17/ दिनांक : 15.11.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषय :– गत वर्षो के वंचित विद्यार्थियो की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति का भुगतान ऑनलाईन करने संबंधी दिशानिर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी समय–समय पर पूर्व सत्रों के छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों (जो कि वर्तमान में अध्ययन के लिए स्कूलों से क्रमोन्नत हो कर कॉलेजों मे पहुंच गए हैं) की छात्रवृति देने के लिए ऑफलाईन भुगतान की अनुमति चाहते हैं। इस संबंध मे राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि छात्रवृति का भुगतान सीधे ही आवश्यक रूप से विद्यार्थी के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जावे। **पूर्व सत्रों के विद्यार्थियो की छात्रवृति का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं–**

1. छात्रवृत्ति का भुगतान पे–मेनेजर के माध्यम से ऑनलाईन किया जावे जिस प्रकार कि वर्तमान अध्ययनरत विद्यार्थियों का किया जा रहा है।

2. विद्यार्थी जो कि पूर्व में पे–मेनेजर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान स्वयं के खाते में प्राप्त कर चुके हैं उनका विवरण पे–मेनेजर पर उपलब्ध है, यह विवरण सम्बन्धित विद्यालय/महाविद्यालय जहां भी यह वर्तमान में है, से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ऑफिस आईडी पर स्थानान्तरित करवा कर बिल बनावें, ट्रेजरी भेजें, पारित होने तथा विद्यार्थी के खाते में छात्रवृति राशि जमा हो जाने पर पुनः विद्यार्थी का विवरण जहां से प्राप्त किया था उस विद्यालय/महाविद्यालय को ऑनलाईन ही लौटा देवें।

3. विद्यार्थी जिनका विवरण कतिपय कारणों से पे–मेनेजर पर नहीं है, उनका विवरण प्राप्त कर कार्यालय स्तर पर पे–मेनेजर पर अपलोड करते हुए छात्रवृति भुगतान की कार्यवाही करें।

4. बिन्दु संख्या 2 एवं 3 की कार्यवाही सम्पादित करने के लिए आपको पे–मेनेजर पर ऑनलाईन पूरा होमवर्क करना होगा। जो विद्यार्थी पे–मेनेजर पर नही है उनका विवरण बिन्दु संख्या 3 के अनुसार नए सिरे से विद्यार्थी से प्राप्त कर पे–मेनेजर पर अपलोड करना है तथा जो विद्यार्थी पे–मेनेजर पर है उनका विवरण या तो उनके पूर्व विद्यालय मे होगा अथवा उनके वर्तमान महाविद्यालय मे इसे अपने स्तर पर ट्रेस करते हुए बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही आप द्वारा की जानी अपेक्षित है।

उक्त अनुसार कार्यवाही करते हुए बकाया छात्रवृति के भुगतान की कार्यवाही करावें तथा ऑफलाईन भुगतान की अनुमति हेतु मार्गदर्शन के लिए इस कार्यालय से अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें।

(जगदीश स्वामी)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर